

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ गंभीर रोग
☐ प्रसूत/विकलांग
☐ मानसिक रूप से विकसित बच्चों के माता-पिता
☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
☐ उत्तराखण्ड सरकार में कार्यरत पति-पत्नी
☐ विधुर/विधवा/
☐ तलाकशुदा/वरिष्ठ कर्मिक
- ☐ दुर्गम से दुर्गम
☐ सुगम से दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1	जिला चिकित्सालय महिला नैनीताल	सुगम
2	रा.रा. चिकित्सालय केन्द्र कालाबाग नैनीताल	५
3	रा.आयु. चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	५
4	रा.आयु. चिकित्सालय लखौलीकोट, नैनीताल	५
5	रा.आयु. चिकित्सालय फतेपुर, नैनीताल	५
6	रा.आयु. चिकित्सालय ठमूवाडूगा, नैनीताल	५
7	रा.आयु. चिकित्सालय कटहरिया, नैनीताल	५
8	रा.आयु. चिकित्सालय चकलूआ, नैनीताल	५
9	रा.आयु. चिकित्सालय धर्मपुर देहरादून	५
10	रा.आयु. चिकित्सालय जौलारा देहरादून	५

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या-

(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाइट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर-

नाम- डा. संजय सिंह

पदनाम- रा.आयु. चिकित्सालय धर्मपुर देहरादून

समूह- खुटका काला बाग
(नैनीताल)

प्रभारी चिकित्साधिकारी
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय
खुटका-कालाबाग (नैनीताल)

**आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड
जनपद-**

पत्रांक संख्या-10/2025-26

दिनांक-9/5/2025

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम- श्री संजय सिंह
 02. पिता/पति का नाम- श्री जगदीश सिंह
 03. पदनाम- चिकित्साधिकारी
 04. नियुक्ति का प्रकार- नियमित लोक सेवा आयोग
 05. वर्तमान तैनाती का स्थान- रा० आयु० पी० कि० दारुमि रतौडा, नैनीताल
 06. वर्तमान तैनाती की तिथि- 12/11/2024
 07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण-

क्र० सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.	रा० स्त्री० मे० हलचरी	30/08/2013	26/10/2013	दुर्गम
2.	वी० सा-वजेड	28/10/2013	11/11/2024	दुर्गम
3.				-
4.				-
5.				-
6.				-
7.				-
8.				-
9.				-
10.				-

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं- (कोई भी एक विकल्प चुनें)

- ☐ सुगम से दुर्गम
 ☐ अनुरोध
 ☒ दुर्गम से सुगम
 ☐ स्थानान्तरण से छूट
 ☐ स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- ☐ वरिष्ठ कार्मिक
 ☐ दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
 ☐ गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
 ☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 ☐ अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी